



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022026-270142
CG-DL-E-14022026-270142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 2026/माघ 23, 1947

No. 723]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026/MAGHA 23, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 761(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान राज्य में एनएच-27 (चित्तौड़गढ़-कोटा) को एनएच-48 (किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद) से जोड़ने वाले नये चित्तौड़गढ़ बायपास खंड का निर्माण (चौड़ा करने/4/6 लेन का बनाने), आदि अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लेखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से संबंधित अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में एनएच-27 (चित्तौड़गढ़-कोटा) को एनएच-48 (किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद) से जोड़ने वाले नये चित्तौड़गढ़ बायपास खंड का निर्माण तक की भूमि अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी 0 से कि.मी 8.14 तक	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	गंगरार	1 डेट
						2 भवानीपुरा
						3 सुवानिया
						4 मेडीखेड़ा
						5 शिवपुरा
					बस्सी	1 आंवलहेड़ा
						2 गुर्जरखेड़ा - नगरी
						3 बिलीया
						4 होकमपुरा
						5 भील्या खेड़ा
						6 नगरी
						7 गुर्जरखेड़ा

[फा. सं. PROJ-23012/3/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2026

S.O. 761(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for Building (widening to four/six lanes, etc.), maintenance, management, and operation of the New Chittorgarh Bypass stretch connecting NH-27 (Chittorgarh–Kota) with NH-48 (Kishangarh–Udaipur–Ahmedabad) in the State of Rajasthan in the Schedule given below.

SCHEDULE

Land acquisition on New Chittorgarh Bypass stretch connecting NH-27 (Chittorgarh–Kota) with NH-48 (Kishangarh–Udaipur–Ahmedabad) in the State of Rajasthan

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Addl Dist Collector (A) Chittorgarh	No Yet to be Assigned KM 0 TO KM 8.14	RAJASTHAN	Chittorgarh	Gangrar	1	Det
						2	Bhawanipura
						3	Suwaniya
						4	Medikheda
						5	Shivpura
					Bassi	1	Aanwalheda
						2	Gurjarkheda_Nagari
						3	Biliya
						4	Hokampura
						5	Bheelya Khera
						6	Nagri
						7	Gurjarkheda

[F. No. PROJ-23012/3/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director